समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 77/स०अनु0, दिनांक- 04.12.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014 -15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष -01 - पुनर्वास, लघु शीर्ष -200- अन्य राहत उपाय, उपशीर्ष -0003 - शीत लहर से बचाव हेतु उपाय मांग संख्या -39, युनिट कोड 31- 06 - सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा विपत्र कोड - एन0-2235012000003 के अन्तर्गत इस जिला को मो0 - 50,000/- (पचास हजार)रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ ह, जिसे निम्न वत उपावंटित किया जाता है।

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपावंटित राशि
1	अंचल अधिकारी,मधेपुरा	—	8000-00	8000-00
2	अंचल अधिकारी ,घैलाढ़	—	3000-00	3000-00
3	अंचल अधिकारी, सिहेंश्वर	—	3000-00	3000-00
4	अंचल अधिकारी , गम्हरिया	—	3000-00	3000-00
5	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	—	3000-00	3000-00
6	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	—	5000-00	5000-00
7	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	—	4000-00	4000-00
8	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	—	4000-00	4000-00
9	अंचल अधिकारी , ग्वालपाड़ा	—	3000-00	3000-00
10	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	—	3000-00	3000-00
11	अंचल अधिकारी, चौसा	—	4000-00	4000-00
12	अंचल अधिकारी, पुरैनी	—	3000-00	3000-00
13	अंचल अधिकारी, आलमनगर	—	4000-00	4000-00
	कुल योग :-		**50000-00**	**50000-00**

उपावंटन की शर्तें :-

1 यह उपावंटन शीत लहर से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 4289 दिनांक 3.12.14 में निहित दिशा निर्देश के आलोक में किया जा रहा है।

2 इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014 -15 में गैर योजना मुख्य. बजट शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष -01 - पुनर्वास, लघु शीर्ष -200- अन्य राहत उपाय, उपशीर्ष -0003 - शीत लहर से बचाव हेतु उपाय मांग संख्या -39, युनिट कोड 31- 06 - सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा विपत्र कोड - एन0-2235012000003 के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3 उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 के आलोक में किया जा रहा है । राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय ।

4. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।

5. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Voched Bill के माध्यम से ही की जाय । अपिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियामावली प्रवधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2015 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य बजट शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष /लधु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय । विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा त्रुटिपूर्ण आंकड़े के वर्गीकरण के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेबार होंगे।

7.यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.15 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए ।

ह0 6/12/14

जिला पदाधिकारी ,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 562 दिनांक 6.12.14

प्रतिलिपि : - सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : - कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : - अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन, बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

ह0 6/12/14

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।